संख्या–सी.एम.40/8–3–05–100 विविध/97

प्रेषक,

के.एल. मीना,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 18 मई, 2006**

विषयः नगरों की महायोजना में सेलुलर मोबाइल फोन के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण को अनुमन्य करने के संबंध में निर्गत अधिसूचना दिनांक 14–1–98 व शासनादेश दिनांक 10–12–99 को उ0प्र0 आवास विकास परिषद पर लागू करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में निर्गत अधिसूचना संख्या–3369/9–आ–3–97–100 विविध/1997, दिनांक 24–1–1998 व शासनादेश संख्या–6318/9–आ–3–99, दिनांक 10–12–99 (प्रति संलग्न) में सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस हेतु कतिपय शर्तों के साथ छूट प्रदान की गयी थी।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरों की महायोजना में सेलुलर मोबाइल फोन के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण को अनुमन्य करने के संबंध में निर्गत उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 24.1.1998 व शासनादेश दिनांक 10.12.99 के सम्बंध में शासन द्वारा, सम्यक विचारोपरान्त संशोधन करतें हुए इसे उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् पर भी प्रभावी करने का निर्णय लिया है। उपर्युक्त अधिसूचना एवं शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(के.एल. मीना)
सचिव

संख्या–सी.एम.40(1)/8–3–05–100 विविध/97, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

2– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

3— डायरेक्टर जनरल, टेलीफोन, भारत सरकार, नई दिल्ली।

4— डायरेक्टर टेलीफोन, उ0प्र0, लखनऊ।

5— श्री तारिक एच. नकवी, स्टेट कोआर्डिनेटर, रिलाएन्स इन्फोकाम लि0 3/187 गोविन्दम प्लाजा, विवकेखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 16—1—06 के संदर्भ में।

आज्ञा से

(शिव जनम चौधरी)
अनुसचिव